

# **Most Trusted Learning Platform**



#### PM Kusum Extended

- Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has launched the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahabhiyan (PM-KUSUM) Scheme for farmers.
- > PM-KUSUM Scheme has been extended till 31.03.2026
- ➤ It has three parts:
- ➤ Having farmers or farmer groups install solar power plants worth 10,000 MW;
- Installing 20 lakh solar-powered agriculture pumps that aren't connected to the grid (offgrid) and,

# पीएम कुसुम विस्तारित

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना शुरू की है उत्थान किसानों के लिए महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना।
- पीएम-कुसुम योजना को 31.03.2026 तक बढ़ा
   दिया गया है
- > इसके तीन भाग हैं:
- किसानों या किसान समूहों द्वारा 10,000 मेगावाट मूल्य के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना;
- 20 लाख सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप स्थापित करना जो ग्रिड (ऑफ-ग्रिड) से नहीं जुड़े हैं और,

- Converting 15 lakh agriculture pumps, already connected to the grid, into solar.
- ➤ As of December 31, 2022, only 88.46 MW of solar capacity had been added; 181,058 solar pumps had been installed and 1,174 gridconnected pumps converted.
- Nodal Ministry: Ministry of New and Renewable Energy

- पहले से ही ग्रिड से जुड़े 15 लाख कृषि पंपों को सौर ऊर्जा में परिवर्तित करना।
- 31 दिसंबर, 2022 तक, केवल 88.46 मेगावाट सौर क्षमता जोड़ी गई थी; 181,058 सौर पंप स्थापित किए गए और 1,174 ग्रिड से जुड़े पंपों को परिवर्तित किया गया।
- नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय





# Components under PM KUSUM

## Component A:

2MW)

Setting up of Decentralised Ground-mounted Solar Power Plants of capacity up to 2 MW.

Farmers / group of farmers / cooperatives/ panchayats/ Farmer Producer Organisations (FPO) can setup the plant, however, in case they are not able to arrange equity required for setting up the solar power plant, they can opt for developing the same through developer(s).

The renewable power generated will be purchased by DISCOMs at a feed-in-tariff (FiT).

Procurement Based Incentive @ Rs. 0.40 per unit with upper limit of Rs. 6.6 Lakh/MW for five years will be provided to DISCOMs.











# Components under PM KUSUM

#### Component B:

Installation of Stand-alone solar water pumps for replacement of existing diesel agricultural pumps.

Reduction in Irrigation Cost and reduction in pollution levels.

Easy loans available for financing farmer's contribution.

Subsidy support available from Central and the state government.

# Components under PM KUSUM

# Component C:

Solarisation of agricultural electricity pumps through Individual Solar Pumps as well as Feeder level Solarisation.

Feeder level solarisation can be implemented in either RESCO or CAPEX Mode.

Incentivization for Water Conservation available.


Subsidy Support available from Central and State Government.

#### **❖** Odesa - Ukraine

- > The World Heritage Committee decided to add the historic centre of Odesa to its list of World Heritage sites.
- > It is an international city in Ukraine
- ➤ It is a major seaport and transportation hub located on the north-western shore of the Black Sea.
- Odesa's location on the shores of the Black Sea allowed it to become one of the most important ports in the Russian empire.
- > It incorporates two other large ports, Yuzhne to the east and Chornomorske to the south.

# ओडेसा - यूक्रेन

- विश्व धरोहर सिमित ने ओडेसा के ऐतिहासिक केंद्र को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया।
- > यह यूक्रेन का एक अंतरराष्ट्रीय शहर है
- यह काला सागर के उत्तर-पश्चिमी तट पर स्थित एक
   प्रमुख बंदरगाह और परिवहन केंद्र है।
- काला सागर के तट पर ओडेसा के स्थान ने इसे रूसी साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक बनने की अनुमति दी।
- इसमें दो अन्य बड़े बंदरगाह शामिल हैं, पूर्व में युज़ने
   और दक्षिण में चोर्नोमोर्स्के ।





#### **❖ Port of Haifa: Israel**

- > The Port of Haifa is located towards the north of > Israel, about 90 km from Tel Aviv.
- > It is close to the city of Haifa, the third largest city in Israel.
- > It is also one of the major industrial areas of > यह इज़राइल के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक Israel.
- > The Adani Group acquired the port of Haifa for > USD 1.2 billion. It is also located near the busy **Suez Canal shipping route.**
- > It handles nearly half of the country's container cargo and is also the nation's principal port for passenger traffic and cruise ships.

## हाइफ़ा का बंदरगाह: इज़राइल

- हाइफ़ा का बंदरगाह इज़राइल के उत्तर में तेल अवीव से लगभग 90 किमी दूर स्थित है।
- यह इज़राइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफ़ा शहर के करीब है।
- भी है।
- अडानी समूह ने 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर में हाइफ़ा बंदरगाह का अधिग्रहण किया।
- > यह व्यस्त स्वेज़ नहर शिपिंग मार्ग के पास भी स्थित है।
  - यह देश के लगभग आधे कंटेनर कार्गों को संभालता है और यात्री यातायात और क्रूज जहाजों के लिए देश का प्रमुख बंदरगाह भी है।




#### Yaya Tso Lake

- ➤ Yaya Tso, a beautiful lake at an altitude of 4,820 metres known as the "paradise for birds" due to its location, has been proposed as Ladakh's first Biodiversity Heritage Site
- ➤ It is a nesting habitat for a large number of birds and animals, such as the bar-headed goose, black- necked crane and brahminy duck.
- > It is also one of the highest breeding sites of the black-necked crane in India.

# याया त्सो झील:

- याया त्सो, 4,820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खूबसूरत झील, जिसे इसके स्थान के कारण "पक्षियों के लिए स्वर्ग" के रूप में जाना जाता है, को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
- यह बड़ी संख्या में पिक्षयों और जानवरों के लिए घोंसला बनाने का स्थान है, जैसे बार-सिर वाले हंस, काली गर्दन वाले क्रेन और ब्राह्मणी बत्तख।
- यह भारत में काली गर्दन वाले सारस के सबसे ऊंचे प्रजनन स्थलों में से एक है।




#### **❖ Biodiversity Heritage Site**

- ➤ It is a unique conservation approach recognised under Section 37 of the Biological Diversity Act, 2002.
- Biodiversity Heritage Sites rich biodiversity with wild as well as domesticated species; high endemism; rare and threatened keystone species, species species, evolutionary significance, wild ancestors of domesticated/ cultivated species; fossil beds; cultural, ethical or aesthetic values for maintaining cultural diversity, with or without long human association with them.

## जैव विविधता विरासत स्थल


- यह जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के तहत मान्यता प्राप्त एक अद्वितीय संरक्षण दृष्टिकोण है।
- > जैव विविधता विरासत स्थलों में जंगली और पालतू प्रजातियों के साथ समृद्ध जैव विविधता है; उच्च स्थानिकवाद; दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियाँ, प्रमुख प्रजातियाँ, विकासवादी महत्व की प्रजातियाँ, पालतू/खेती की गई प्रजातियों के जंगली पूर्वज; जीवाश्म बिस्तर; सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक, नैतिक या सौंदर्य संबंधी मूल्य, उनके साथ लंबे मानवीय जुड़ाव के साथ या उसके बिना।

- ➤ As per Section 37 (1) of the Biological ➤ Diversity Act, 2002 the State Government may, from time to time in consultation with the local bodies, notify in the Official Gazette, of areas of biodiversity importance as Biodiversity Heritage Sites.
- > So far forty-four (44) Biodiversity Heritage Sites have been notified by sixteen (16) states.
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 (1) के अनुसार, राज्य सरकार समय-समय पर स्थानीय निकायों के परामर्श से, जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है।
- अब तक सोलह (16) राज्यों द्वारा चौवालीस (44) जैव विविधता विरासत स्थलों को अधिसूचित किया जा चुका है।



- **❖** Horn of Africa: SEED in the Horn of Africa
- Horn of Africa: SEED = Somalia, Ethiopia,Eritrea, Djibouti
- Broader Definition = SEED + Kenya, Sudan,
  South Sudan

- अफ़्रीका का सींग: अफ़्रीका के सींग में बीज
- अफ्रीका का सींगः बीज = सोमालिया, इथियोपिया,
   इरिट्रिया, जिब्ती
- व्यापक परिभाषा = बीज + केन्या, सूडान, दक्षिण सूडान



- Election Commissioners (Appointment, **Conditions of Service and Term of Office) Bill,** 2023
- \* It provides for the appointment, salary, and removal of the Chief Election Commissioner (CEC) and Election Commissioners (ECs).
- \* The CEC and ECs will be appointed by the President recommendation of a Selection Committee.
- \* The Selection Committee will consist of the Prime Minister, a Union Cabinet Minister, and Leader of Opposition/leader of the largest opposition party in Lok Sabha.

- ❖ The Chief Election Commissioner and Other ❖ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023
  - यह मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति, वेतन और निष्कासन का प्रावधान करता है।
  - सीईसी और ईसी की नियुक्ति चयन सिमिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
  - चयन सिमिति में प्रधान मंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता/सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे।

- Secretary will propose a panel of names to the **Selection Committee.**
- **❖** The salary and conditions of service of the CEC and ECs will be equivalent to that of the Cabinet Secretary. Under the 1991 Act, it was equivalent to the salary of a Supreme Court Judge.
- ❖ Eligibility criteria: The CEC and ECs must: (i) be persons of integrity, (ii) have knowledge and experience in the management and conduct of elections, and (iii) be or have been Secretary (or equivalent) to the government.

- ❖ A Search Committee headed by the Cabinet ❖ कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी।
  - सीईसी और ईसी का वेतन और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी। 1991 के अधिनियम के तहत, यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर था।
  - ❖ पात्रता मानदंड: सीईसी और ईसी को: ( i ) ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, (ii) चुनावों के प्रबंधन और संचालन में ज्ञान और अनुभव होना चाहिए, और (iii) सरकार का सचिव (या समकक्ष) होना चाहिए या होना चाहिए।

- **Election Commission will hold office for six** years, or until they attain the age of 65 years, is earlier. whichever Members of the Commission cannot be re-appointed. If an EC is appointed as a CEC, the overall period of the term may not be more than six years.
- \* Removal: The Bill retains the manner of removal of CEC and ECs as specified in the Constitution. The CEC may be removed in the same manner and on the same grounds as a Supreme Court Judge. ECs may be removed only upon the recommendation of the CEC.
- ❖ Term and reappointment: Members of the ❖ कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति: चुनाव आयोग के सदस्य छह साल तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। आयोग के सदस्यों को दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। यदि किसी ईसी को सीईसी के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो कार्यकाल की कुल अवधि छह वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है।
  - निष्कासनः विधेयक संविधान में निर्दिष्ट सीईसी और ईसी को हटाने के तरीके को बरकरार रखता है। सीईसी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है। ईसी को केवल सीईसी की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।

- **\*** ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) ACT
- **❖** AFSPA gives armed forces the power to maintain public order in "disturbed areas".
- They have the authority to prohibit a gathering of five or more persons in an area
- They can use force or even open fire after giving due warning if they feel a person is in contravention of the law.
- ❖ If reasonable suspicion exists, the army can also arrest a person without a warrant.
- They can enter or search a premises without a warrant; and ban the possession of firearms.

- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम
- ❖ AFSPA सशस्त्र बलों को "अशांत क्षेत्रों" में सार्वजिनक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है।
- ❖ उनके पास किसी क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर रोक लगाने का अधिकार है
- यदि उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है तो वे उचित चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग कर सकते हैं या गोली भी चला सकते हैं।
- यदि उचित संदेह मौजूद है, तो सेना किसी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है।

- ❖ A disturbed area is one which is declared by notification under Section 3 of the AFSPA.
- ❖ The Central Government, or the Governor of the State or administrator of the Union Territory can declare the whole or part of the State or Union Territory as a disturbed area
- वे बिना वारंट के किसी परिसर में प्रवेश या तलाशी ले सकते हैं; और आग्नेयास्त्रों के कब्जे पर प्रतिबंध लगाएं।
- अशांत क्षेत्र वह है जिसे AFSPA की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाता है।
- केंद्र सरकार, या राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।

- **❖ NEW START Treaty**
- ❖ Recently, Russia has decided to suspend the New START treaty.
- The New START treaty was signed in 2010 by former U.S. President Barack Obama and Russian President Dmitry Medvedev and came into force in February 2011.
- ❖ It was extended for five years when current U.S. President Joe Biden took office in 2021.
- Under the Treaty, America and Russia cannot deploy more than 1,550 strategic nuclear warheads and more than 700 long-range missiles and bombers.

- नई शुरुआत संधि
- \* हाल ही में रूस ने नई START संधि को निलंबित
   करने का निर्णय लिया है।
- नई START संधि पर 2010 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह फरवरी 2011 में लागू हुई।
- वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपित जो बिडेन द्वारा 2021 में पदभार संभालने पर इसे पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था।

- non-deployed launchers and delivery vehicles.
- ❖ It allows each side to carry out up to 18 shortnotice (32 hours) on-site inspections of strategic nuclear weapons sites annually to ensure the other has not crossed the limits of the treaty.
- ❖ It also limits each country to 800 deployed and ❖ संधि के तहत, अमेरिका और रूस 1,550 से अधिक रणनीतिक परमाणु हथियार और 700 से अधिक लंबी दूरी की मिसाइलें और बमवर्षक तैनात नहीं कर सकते हैं।
  - यह प्रत्येक देश को 800 तैनात और गैर-तैनात लॉन्चरों और डिलीवरी वाहनों तक सीमित करता है।
  - यह प्रत्येक पक्ष को रणनीतिक परमाणु हथियार स्थलों का सालाना 18 अल्प-सूचना (32 घंटे) तक ऑन-साइट निरीक्षण करने की अनुमति देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूसरे ने संधि की सीमा को पार नहीं किया है।

- non-deployed launchers and delivery vehicles.
- ❖ It allows each side to carry out up to 18 shortnotice (32 hours) on-site inspections of strategic nuclear weapons sites annually to ensure the other has not crossed the limits of the treaty.
- ❖ It also limits each country to 800 deployed and ❖ संधि के तहत, अमेरिका और रूस 1,550 से अधिक रणनीतिक परमाणु हथियार और 700 से अधिक लंबी दूरी की मिसाइलें और बमवर्षक तैनात नहीं कर सकते हैं।
  - यह प्रत्येक देश को 800 तैनात और गैर-तैनात लॉन्चरों और डिलीवरी वाहनों तक सीमित करता है।
  - यह प्रत्येक पक्ष को रणनीतिक परमाणु हथियार स्थलों का सालाना 18 अल्प-सूचना (32 घंटे) तक ऑन-साइट निरीक्षण करने की अनुमति देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूसरे ने संधि की सीमा को पार नहीं किया है।

- **\* WINDSOR FRAMEWORK**
- The Windsor Framework is a legal agreement between the European Union and the United Kingdom that adjusts the Northern Ireland Protocol.
- It was announced on February 27, 2023, formally adopted on March 24, 2023, and came into effect on October 1, 2023.
- **❖** The Northern Ireland Protocol problem
- ❖ After the UK left the European Union, Northern Ireland remained its only constituent that shared a land border with an EU-member, the Republic of Ireland.

- विंडसर फ्रेमवर्क
- विंडसर फ्रेमवर्क यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक कानूनी समझौता है जो उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल को समायोजित करता है।
- उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल समस्या
- ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद, उत्तरी आयरलैंड इसका एकमात्र घटक रह गया जिसने यूरोपीय संघ के सदस्य, आयरलैंड गणराज्य के साथ भूमि सीमा साझा की।

- product standards, border checks would be necessary before goods could move from Northern Ireland to Ireland.
- It was decided the checks would be conducted between Great Britain (England, Scotland and Wales) and Northern Ireland (which together with Great Britain forms the United Kingdom).
- **❖** This was called the Northern Ireland Protocol.

- ❖ Since the EU and the UK have different ❖ चूंकि यूरोपीय संघ और यूके के उत्पाद मानक अलग-अलग हैं, इसलिए उत्तरी आयरलैंड से आयरलैंड तक सामान ले जाने से पहले सीमा जांच आवश्यक होगी।
  - यह निर्णय लिया गया कि जांच ग्रेट ब्रिटेन (इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स) और उत्तरी आयरलैंड (जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाता है) के बीच आयोजित की जाएगी।
  - इसे उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल कहा गया।

- The Windsor framework:
- ❖ The framework has two crucial aspects the introduction of a green lane and red lane system for goods that will stay in Northern Ireland and those that will go to the EU respectively
- Stormont Brake allows Northern Ireland lawmakers and London to veto any EU regulation they believe affects the region adversely.

- वंडसर ढांचा:
- रूपरेखा के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं उत्तरी आयरलैंड में रहने वाले सामानों और यूरोपीय संघ में जाने वाले सामानों के लिए क्रमशः ग्रीन लेन और रेड लेन प्रणाली की शुरूआत।
- स्टॉर्मीन्ट ब्रेक उत्तरी आयरलैंड के सांसदों और लंदन को यूरोपीय संघ के किसी भी विनियमन को वीटो करने की अनुमित देता है, उनका मानना है कि यह क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।



# अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय

विशेषता	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी)	अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)
स्थापना वर्ष	2002 में स्थापित	1945 में स्थापित
प्रकृति	फ़ौजदारी अदालत	सामान्य न्यायालय
क्षेत्राधिकार		
प्रयोज्यता	व्यक्तियों पर लागू होता है	राज्यों पर लागू होता है
अभियोक्ता		कोई स्वतंत्र अभियोजक नहीं; राज्यों द्वारा लाए गए मामले

# अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय

विशेषता	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी)	अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)
सलाहकारी राय	संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार	संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद या अन्य विशिष्ट एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय जारी कर सकता है
अनिवार्य क्षेत्राधिकार	क्षेत्राधिकार अनिवार्य नहीं है; व्यक्तियों।	उन राज्यों के लिए क्षेत्राधिकार अनिवार्य है जो ICJ क़ानून के पक्षकार हैं, जब तक कि वे ऐसे क्षेत्राधिकार को छोड़कर कोई विशिष्ट घोषणा नहीं करते हैं
न्यायाधीशों सीट	लिए चुने गए	15 न्यायाधीश 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए हेग, नीदरलैंड

विशेषता	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिव न्यायालय (आईसीसी)	
		प्रवर्तन के लिए
	प्रवतन क लिए राज्य के सहयोग पर निर्भर	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर निर्भर है;
प्रवर्तन तंत्र		इसकी कोई स्वतंत्र
त्रपत्रण तत्र	त्रपत्रण साखा गरा र	त्रपत्रण साखा गरा र
	भारत, अमेरिका और	
सदस्यता	रूस सदस्य नहीं हैं	

- पेटेंट की सदाबहारता:
- Indian Patent Office rejected U.S. pharmaceutical giant Johnson & Johnson's (J&J) attempt to extend its monopoly on manufacturing the drug in India beyond July 2023.
- ❖ Section 3(d) of the Patents Act states that salt forms and derivatives of known substances are not patentable.
- \* "The applicant cannot claim a patent on these methods and compositions of salt forms that have been known in scientific world for more than three decades

- भारतीय पेटेंट कार्यालय ने जुलाई 2023 से आगे भारत में दवा के निर्माण पर अपना एकाधिकार बढ़ाने के अमेरिकी फार्मास्युटिकल दिग्गज जॉनसन एंड जॉनसन (J&J) के प्रयास को खारिज कर दिया।
- पेटेंट अधिनियम की धारा 3(डी) में कहा गया है कि ज्ञात पदार्थों के नमक रूप और व्युत्पन्न पेटेंट योग्य नहीं हैं।
- "आवेदक नमक के इन तरीकों और संरचनाओं पर पेटेंट का दावा नहीं कर सकता है जो वैज्ञानिक दुनिया में तीन दशकों से अधिक समय से ज्ञात हैं

# Vital intervention

Bedaquiline, manufactured by J&J, is a crucial anti-TB drug



- India has rejected J&J's appeal to extend its patent beyond July 2023
- Currently priced at

around \$400 for a six-month treatment regimen, the prices are likely to fall

- After July, generic producers like Lupin and Macleods are likely to manufacture the drug
- Over 55,000 patients, in whom other drugs have stopped working, may benefit from Bedaquiline access
- Till March 2020, only a little over 10,000 patients received the drug



- **\* UNITED NATION HIGH SEAS TREATY**
- Around two-thirds of the Earth's ocean lies beyond national boundaries.
- This expansive area is referred to as the "high seas", "international waters", or "areas beyond national jurisdiction."
- The high seas typically start at a distance of 200 nautical miles from the coast
- It is the first international legally binding instrument to conserve and sustainably manage marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction.

- संयुक्त राष्ट्र उच्च सागर संधि
- पृथ्वी के महासागर का लगभग दो-तिहाई हिस्सा राष्ट्रीय सीमाओं से परे है।
- इस विस्तृत क्षेत्र को "उच्च समुद्र", "अंतर्राष्ट्रीय जल" या "राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्र" के रूप में जाना जाता है।
- ॐ ऊंचे समुद्र आमतौर पर तट से 200 समुद्री मील की दूरी पर शुरू होते हैं
- यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण है।
- यह खुले समुद्र में समुद्री पर्यावरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न तनावों को संबोधित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

- It provides a legal framework for addressing various stressors affecting the marine environment in the high seas.
- ❖ It will play a crucial role in achieving the recent ambitious "30x30" initiative to protect 30% of marine ecosystems by 2030.
- The treaty aims to address critical issues such as the increasing sea surface temperatures, overexploitation of marine biodiversity, overfishing, coastal pollution, and unsustainable practices beyond national jurisdiction.
- India is not a signatory as of January 2024

- यह 2030 तक 30% समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए हालिया महत्वाकांक्षी "30x30" पहल को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- ❖ संधि का उद्देश्य समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान, समुद्री जैव विविधता का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक मछली पकड़ना, तटीय प्रदूषण और राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे अस्थिर प्रथाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है।
- जनवरी 2024 तक भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है

- Global Greenhouse Gas Monitoring Infrastructure
- The U.N.'s World Meteorological Organisation has come up with a new Global Greenhouse Gas Monitoring Infrastructure.
- It aims to provide better ways of measuring planet-warming pollution and help inform policy choices.
- It will integrate space-based and surface-based observing systems, and seek to clarify uncertainties about where greenhouse gas emissions end up.
- ❖ The three major greenhouses gases are carbon dioxide, methane and nitrous oxide. Of those, CO2 accounts for around 66% of the warming effect on the climate.

- वैश्विक ग्रीनहाउस गैस निगरानी अवसंरचना
- संयुक्त राष्ट्र का विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक नया वैश्विक ग्रीनहाउस गैस निगरानी बुनियादी ढांचा लेकर आया है।
- इसका उद्देश्य ग्रह-वार्मिंग प्रदूषण को मापने के बेहतर तरीके प्रदान करना और नीति विकल्पों को सूचित करने में मदद करना है।
- यह अंतिरक्ष-आधारित और सतह-आधारित अवलोकन प्रणालियों को एकीकृत करेगा, और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कहां समाप्त होगा, इसके बारे में अनिश्चितताओं को स्पष्ट करने का प्रयास करेगा।
- तीन प्रमुख ग्रीनहाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हैं। उनमें से, CO2 जलवायु पर वार्मिंग प्रभाव का लगभग 66% हिस्सा है।

- The GHG watch will consist of four main components:
- ❖ A comprehensive, sustained, global set of surface-based and satellite-based observations of carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) concentrations.
- Prior estimates of the GHG emissions based on activity data and process-based models;
- ❖ A set of global high-resolution Earth System models representing GHG cycles;
- Associated with the models, data assimilation systems that optimally combine the observations with model calculations to generate products of higher accuracy.

- ❖ GHG घड़ी में चार मुख्य घटक शामिल होंगे:
- कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), मीथेन (CH4) और नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) सांद्रता के सतह-आधारित और उपग्रह-आधारित अवलोकनों का एक व्यापक, निरंतर, वैश्विक सेट।
- गतिविधि डेटा और प्रक्रिया-आधारित मॉडल के आधार पर जीएचजी उत्सर्जन के पूर्व अनुमान;
- जीएचजी चक्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले वैश्विक उच्च रिज़ॉल्यूशन पृथ्वी प्रणाली मॉडल का एक सेट;
- मॉडलों के साथ संबद्ध, डेटा एिसमिलेशन सिस्टम जो उच्च सटीकता के उत्पाद उत्पन्न करने के लिए मॉडल गणना के साथ टिप्पणियों को बेहतर ढंग से जोड़ते हैं।

- **❖** The World Meteorological Organization (WMO)
- It is a specialized agency of the United Nations.
- It is the UN system's authoritative voice on the state and behavior of the Earth's atmosphere, its interaction with the oceans, the climate it produces and the resulting distribution of water resources.
- As of 2023, WMO has 193 Members, including 187 Member States and 6 Territories, maintaining their own meteorological services.
- It originated from the International Meteorological Organization (IMO), which was founded in 1873.

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ)
- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- यह पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति और व्यवहार , महासागरों के साथ इसकी बातचीत, इससे पैदा होने वाली जलवायु और इसके परिणामस्वरूप जल संसाधनों के वितरण पर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की आधिकारिक आवाज है।
- ❖ 2023 तक, WMO के 193 सदस्य हैं, जिनमें 187 सदस्य राज्य और 6 क्षेत्र शामिल हैं, जो अपनी स्वयं की मौसम संबंधी सेवाएं बनाए रखते हैं।

- ❖ WMO facilitates the unrestricted exchange of data and information, products and services in real- or near-real time on matters relating to the safety and security of society, economic welfare and the protection of the environment.
- It contributes to policy formulation in these areas at national and international levels.
- ❖ WMO समाज की सुरक्षा, आर्थिक कल्याण और पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित मामलों पर वास्तविक या लगभग वास्तविक समय में डेटा और सूचना, उत्पादों और सेवाओं के अप्रतिबंधित आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
- ❖ यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन क्षेत्रों में नीति
  निर्माण में योगदान देता है।



# KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform

# THANKS FOR WATCHING





























